सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 81 राँची, गुरुवार, 14 फाल्गुन, 1947 (श०) / 5 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

17 फ़रवरी, 2026

संख्या- 8/न्या० विविध (एल०एल०एम०/पी०एच०डी०)-01/2025 का० 925--झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित निम्नांकित न्यायिक पदाधिकारियों को विभागीय संकल्प संख्या-1459 दिनांक 27.02.2024 की कंडिका-IX के तहत विहित शर्तों के अधीन निम्नांकित स्तम्भ में अंकित तिथि के प्रभाव से उच्च योग्यता भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	नाम	पद एवं वर्तमान पदस्थापन	उच्च योग्यता		झा.न्या.से. में योगदान की तिथि	उच्च योग्यता भत्ता की देय तिथि	पूर्व में दी गयी स्वीकृति की तिथि (संकल्प सं०-4328 दिनांक 24.05.2016)
			उपाधि	निर्गत/ कन्वोकेशन तिथि			
1	2		3	4	5	6	7
1	Sri Deepak Kumar	Secretary, DLSA, Godda	LL. M	19.11.2016	29.07.2015	19.11.2016	-
2	Ms Lucy Sosen Tigga	C.J.M.-cum-Civil Judge (Sr. Div.)-I-cum-A.C.J.M., Saraikela-Kharsawan	LL. M	17.04.2010	19.01.2011	19.01.2011	-
3	Sri. Prashant Gupta	Addl. Civil Judge (Jr. Div.)-cum-J.M., Ranchi	LL. M	15.12.2025	09.10.2020	15.12.2025	-

- उक्त अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता तद्नुसार अनुमान्य होगी।
- उपर्युक्त न्यायिक पदाधिकारियों को उच्च योग्यता भत्ता का लाभ इस शर्त के साथ देय होगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में पूर्व में एल०एल०एम० उपाधि पर दिये गये लाभ की राशि का समायोजन कर लिया जाय।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय के अग्रसारण पत्र के साथ संलग्न न्यायिक पदाधिकारियों के एल०एल०एम०/पी०एच०डी० उपाधि प्रमाण-पत्र की वैधता पर झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट होने के उपरांत हीं उक्त भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 81 - 50